

17.06.2025 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 04 मनजीत कौर उर्फ गुरमीतकौर की मृत्यु दिनांक 05.05.2023 को हो चुकी है जिसके जायज वारिसान निम्न है:-

1. गुरजीन्द्र सिंह पुत्र गुरमीतकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नी पालासिंह जाति रायसिख निवासी वीपीओ तूतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. सुरेन्द्र कौर पुत्री पुत्र गुरमीतकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नी पालासिंह जाति रायसिख निवासी वीपीओ तूतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. गुरप्रीत कौरपुत्री गुरमीतकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नी पालासिंह जाति रायसिख निवासी वीपीओ तूतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)



अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 के स्थान पर उसके कायम मुकाम बनाया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत नो ओब्जेक्शन किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 के स्थान पर उसके जायज वारिसान को प्रतिवादी संख्या 4.1 ता 4.3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 03.07.2025 को पेश हो।